दैनिक न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, सोमवार 22 जुलाई 2024
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

वन भूमि और वन अधिकार पत्र के हस्तांतरण के संबंध में प्रक्रिया जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। राज्य शासन के मंत्री परिषद आदेश 9 जुलाई 2024 अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु (फौत) होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि संबंधित कार्रवाई हेतु की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 16 जुलाई 2024 प्राधिकार से अधिसूचना प्रकाशित किया गया है। यह प्रकाशन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है।

सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र में 22 जुलाई को होगा आयुष्मान, आधार, श्रम, पीएम विश्वकर्मा पंजीयन शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र में 22 जुलाई सोमवार को आधार लिंक, आयुष्मान कार्ड निर्माण, श्रम पंजीयन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीयन शिविर आयोजित होगा। इन सभी कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान हितग्राहियों से किया जाएगा। इनमें मुड़पार में जिला स्तर पर शिविर होगा। ब्लॉक स्तरीय में सारंगढ़ क्षेत्र के कलमी, पासीद, बरभांठा, अमेठी, फरसवानी, सारंगढ़ के वार्ड 10, और बरमकेला क्षेत्र के बड़े नवापारा, खैरगढ़ी, केनाभाठा, पठियापाली, खरवानी वार्ड 7, साल्हेओना, डोंगरीपाली, गौरडीह रिसोरा, पेंवरा, पोरथ में शिविर आयोजित होगा।

बिलाईगढ़ क्षेत्र में 22 जुलाई को होगा आयुष्मान, आधार, श्रम, पीएम विश्वकर्मा पंजीयन शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सोमवार 22 जुलाई को बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम जोरा, केरीझर, गोविंदवन, धारासीव, बगलोटा, लिमतरी, मोहतरा, परसाडीह, धोबनी, कोलडीपा, सलोनीकला, गोंदली, चोरभट्टी 2 और सरधाभाठा में आधार अपडेट, आयुष्मान कार्ड निर्माण, श्रम पंजीयन, पीएम विश्वकर्मा पंजीयन का शिविर आयोजित होगा। इन सभी कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान हितग्राहियों से किया जाएगा।

राजधानी के दो बेकरियों पर खाघ विभाग का छापा

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में फूड एंड ड्रग विभाग एक्शन मोड में है. शनिवार को केएफसी, पिज्जा हट और मोमोस अड्डा में छापा मार कार्रवाई के बाद फिर से देर रात दो बेकरियों जन्नत और अमानत बेकरी के कारखाने में छापेमारी की गई. इस दौरान दोनों बेकरी में गंदगी और कई कमियां पाई गई.वहीं बेकरियों से लगभग 800 किलो केक के रॉ मटेरियल और क्रीम रोल खमीर जब्त कर नष्ट किया गया.वहीं ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है. दोनों ही बेकरी में हाइजीन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी. संयुक्त टीम ने बेकरियों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और सुधार कार्य पूरा होने तक फैक्ट्रियों को सील कर दिया है.

इलेक्ट्रिक गाड़ी में धमाके के बाद घर में लगी आग, मोहल्ले वालों की सतर्कता से बची परिवार की जान

बिलासपुर (आरएनएस)। इलेक्ट्रिक गाड़ी में धमाके के बाद आग लगने से इलाके में हडकंप मच गया है. मोहल्ले के लोगों की सतर्कता से परिवार की जान बच गई. महिला और बच्ची का चेहरा झुलस गई है. यह घटना सरकंडा के स्वर्णिम ऐरा कॉलोनी की देर रात की है. इलेक्ट्रिक व्हीकल से फैली आग घर तक पहुंचने से घर का सामान जलकर खाक हो गया. ई-व्हीकल के बाजू में खड़ी बाइक भी जल गई. परिवार वालों ने घर के पीछे के रास्ते से निकलकर अपनी जान बचाई है. मोहल्ले वालों ने पानी और रेत से आग पर किसी तरह काबू पाया. सरकंडा पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शहर में नया गार्डन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा

- वित्त मंत्री चौधरी ने 29.4 लाख की लागत से बने बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट का किया लोकार्पण
- कमला नेहरू गार्डन में 26.81 लाख रुपये के उन्नयन कार्य का किया भूमि पूजन
- वृक्षारोपण कर लोगों से पीपल वृक्ष लगाने की अपील

रायगढ़

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज नटवर स्कूल परिसर में बने 29.04 लाख रुपये की लागत से बने बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने करीब 27 लाख रूपये की लागत से कमला नेहरू गार्डन में उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। मौके पर उन्होंने पीपल का वृक्षारोपण कर लोगों से अधिक से अधिक पीपल का पेड़ लगाने की अपील की। इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने शहर में एक नये गार्डन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सभी के सहयोग से रायगढ़ का विकास होगा। उन्होंने कहा कि रायगढ़ के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इन कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहर में हो रहे निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण सहित सभी दिशा में कार्य कर रही है। आने वाले समय में सभी के सहयोग से रायगढ़ विकास के नए पायदान पर स्थापित होगा।

वित्त मंत्री चौधरी ने नटवर स्कूल परिसर में 20 लाख 33 हजार रुपए की लागत से बॉक्स क्रिकेट एवं 8 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का विधिवत पूजा-अर्चना कर लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री चौधरी ने बॉक्स क्रिकेट में क्रिकेट खेल का और बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेल का आनंद भी लिया। इसके साथ ही कमला नेहरू गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में 26 लाख 81 हजार रूपये की लागत से गार्डन उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया गया। जिसके अंतर्गत गार्डन में शौचालय, रिनोवेशन, साइड बाउंड्री वॉल, फब्बारा उन्नयन, प्रवेश द्वार पर गेट निर्माण, फुटपाथ उन्नयन के कार्य होंगे। इस दौरान उन्होंने शहर में एक नये गार्डन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने गार्डन निर्माण के लिए स्थान चिन्हांकित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मंशानुरूप खेल गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को खेल संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के अन्य स्थानों में भी खेल संसाधन को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री चौधरी के निर्देश पर जगह चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा है ताकि सभी युवाओं को खेल गतिविधियों में अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि जो कार्य पूर्ण हो रहे है उनका लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इन संपत्ति का उपयोग करने के साथ ही इसका देखभाल भी करें। ऐसी व्यवस्थाएं बड़े शहरों में होने के साथ ही काफी पैसे खर्च करने पड़ते है, लेकिन वित्त मंत्री चौधरी के पहल पर यह सुविधा रायगढ़ शहर को मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन संसाधनों के माध्यम से रायगढ़ से भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभा उभरे।

इस अवसर पर गुरुपाल भल्ला, पूर्व सभापति सुरेश गोयल, डिग्री लाल साहू, अनुपम पाल, निगम नेता प्रतिपक्ष पूनम दिबेश सोलंकी, पार्षद सुभाष पांडेय, पंकज कंकरवाल, सीनू राव, राघवेंद्र सिंह, कौशलेश मिश्रा, नब्बू खान, आशीष ताम्रकार, मुकेश जैन, विवेक रंजन सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, वनमंडलाधिकारी रायगढ़ स्टायलो मण्डावी, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी, उपायुक्त नगर निगम सुतीक्षण यादव, गार्डन समिति, योग समिति के पदाधिकारी, निगम कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया, सहायक अभियंता सूरज देवांगन, उप अभियंता यज्ञा सिदार, मुन्ना ओझा सहित जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पंगत में बैठकर ग्रहण किया भंडारा प्रसाद

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय में गुरु के दर्शन के पश्चात गुरु दर्शन के लिए आए सारे लोगों के बीच पंगत में बैठकर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आमजनों ने भी भंडारा प्रसाद ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय परिसर में करंज का पौधा रोपा

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा के परिसर में प्रियदर्शी भगवान राम जी के साथ पौधरोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करंज का पौधा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नीम का पौधा तथा पूर्व विधायक विजय अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

श्री 108 सत्यनारायण बाबा धाम कोसमनारा में दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय : प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम कोसमनारा स्थित 108 सत्यनारायण बाबा धाम दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने 108 सत्यनारायण बाबा और भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी भी उपस्थित रहे।

कोसमनारा स्थित 108 सत्यनारायण बाबा धाम आस्था का केंद्र के रूप में विख्यात है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा सत्यनारायण और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते है। बाबा सत्यनारायण पूरे दिन भोलेनाथ की तपस्या और ध्यान में लीन रहते है और आधी रात में केवल एक बार सामान्य अवस्था में आते हैं। इस दौरान बाबा फल और दूध ग्रहण करते हैं तथा आश्रम में मौजूद भक्तों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनकर उसका समाधान इशारों में ही बता देते हैं। बाबा सन् 1998 से तपस्या में लीन है और 2003 में उन्हे 108 की उपाधि मिली, तब से बाबा धाम की प्रसिद्धि के साथ श्रद्धालुओ की संख्या बढ़ी है।

इस अवसर पर गुरुपाल भल्ला, महेश साहू, विवेक रंजन सिन्हा, ज्ञानू गौतम, मनीष शर्मा, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

गरजते बादल, तेज धूप और कड़कड़ाती ठंड के बीच तपस्या में लीन रहते है सत्यनारायण बाबा- रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोसमनारा में 108 सत्यनारायण बाबा वर्षा, ग्रीष्म एवं ठंड तीनों मौसम में खुले जगह पर ही लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहते हैं। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी अनुसार सत्यनारायण बाबा लगभग 25 वर्ष से अधिक समय से खुले जगह पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया की बाबा जिस जगह पर तपस्या कर रहे हैं, पहले वह एक बंजर जगह थी। इस बंजर जमीन पर बाबा ने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर शिवलिंग का रूप देकर अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी थी और उस समय से लगातार तपस्या में लीन हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायगढ़ जिले के ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ में गुरु दर्शन के लिए पहुंचे

- आध्यात्मिक मूल्यों एवं संस्कारों की पाठशाला है अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा

रायगढ़

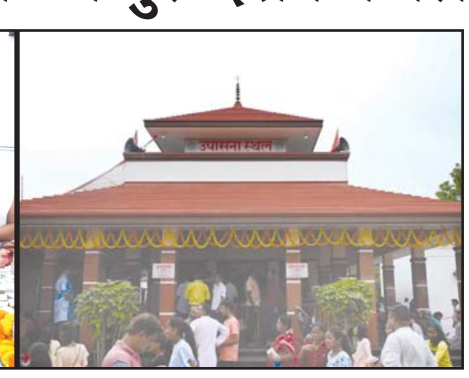

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ में गुरु दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने गुरु पीठ आश्रम के उपासना स्थल पर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने आश्रम में अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी के प्रिय शिष्य प्रियदर्शी भगवान राम जी के दर्शन भी किए और मार्गदर्शन लिए। इसके साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिसर में करंज का पौधा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नीम का पौधा तथा पूर्व विधायक विजय अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पौधरोपण किया गया। आध्यात्मिक मूल्यों एवं संस्कारों की पाठशाला के रूप में अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा का नाम विख्यात है। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में अघोर पंथ का बीजारोपण करने वाले पूज्य अघोरेश्वर के शिष्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के कर कमलों से तीन दशक पहले रायगढ़ के पूर्वांचल स्थित ग्राम बनोरा में इस ट्रस्ट की नींव रखी गई तब से लेकर आज तक यह ट्रस्ट राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आध्यात्मिक मूल्यों एवं संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा की स्थापना तीन दशक पहले की गई। अघोरेश्वर महाप्रभु ने समाज के विकास की अवधारणाओं का सूत्रपात किया लेकिन इस दिशा में बहुत से अधूरे कार्यों को पूरा करने अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी के प्रियतम शिष्य बाबा प्रियदर्शी राम जी ने बनोरा से जुड़ी अन्य शाखाओं का शिवरीनारायण, डभरा, चिरमिरी, अंबिकापुर सहित अन्य प्रांतों में भी विस्तार किया। बनोरा से जुड़ी सभी शाखाओं में मानव सेवी गतिविधियां निरंतर संचालित हो रही हैं। बनोरा ट्रस्ट से जुड़ी सभी शाखाएं आसपास क्षेत्र के मौजूद जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकता शिक्षाए चिकित्सा या आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देकर समाज कल्याण के लिए क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है।

अंत्योदय आदिवासी स्वरोजगार योजना के लिए एसटी एससी युवाओं से आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंत्योदय या आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु आवेदन आमंत्रित है।

योजना की पात्रता एवं शर्तें : आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। जाति एवं निवास पत्र प्रमाण पत्र सरपंच या पार्षद द्वारा एवं आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार का वार्षिक आय 15 लाख रुपए से अधिक ना हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड के छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक ना हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50% या अधिकतम दस हजार रूपए जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन टीसीपीसी परिसर खैरहा बिलासपुर रोड सारंगढ़ में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रभारी अधिकारी एम के भगत से मोबाइल नंबर 9424184313 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन में कांट छांट, ओवर राइटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नवीन कानून भारतीय कानून व्यवस्था को सुदृढ़ता एवं न्यायिक प्रक्रिया को कर रहा गतिशीलता प्रदान-जिला न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन

रायगढ़

छ.ग.राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निर्देशानुसार तीन नवीन कानून के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिला रायगढ़ सहित तहसील सारगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया तथा बिलाईगढ़ के अभियोजन अधिकारी, अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं लीगल एड डिफेंस कौसिंल सिस्टम रायगढ़ के अधिवक्ता उपस्थित रहें।

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य के द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर एक दिवसीय कार्यशाला को शुभारंभ किया गया। उनके साथ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रतिभा वर्मा, अधिवक्ता संघ रायगढ़ के सचिव शरद पाण्डे, अन्य जिलों से उपस्थित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव एवं लीगल डिफेंस कौंसिल के चीफ विवेक मिश्रा, जिला रायगढ़ सहित तहसील न्यायालयों के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

उक्त एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी नवीन कानून के आगमन पर उसकी व्याख्या एवं उसके उद्देश्य को जन-जन तक पहुचाने का दायित्व प्रमुख रूप से विधि के जानकार व्यक्तियों पर आ जाता है और आज के दिन आयोजित कार्यशाला के माध्यम से 1 जुलाई 2023 से प्रर्वतनीय नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर हम सभी उपस्थित न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारियों के माध्यम से वह लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कानूनों में परिवर्तन एक प्रगतिशील समाज का परिचायक है, जो यह बताता है कि एक राष्ट्र का निर्माण समग्र रूप से न्यायिक धुरी पर चारों ओर हो रहा है। कार्यक्रम में मंच का संचालन न्यायाधीश नेहा यति मिश्रा द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन भावना नायक द्वारा किया गया। कार्यशाला में सर्वप्रथम न्यायाधीश सौरभ बारा द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की जानकारी प्रदान करने के साथ पुराने कानून भारतीय दण्ड संहिता से तुलनात्मक प्रावधानों की जानकारी दिया गया कि किस प्रकार कानूनों में विधायिका द्वारा परिवर्तन किया गया।

तत्पश्चात् संतोष ठाकुर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के दण्ड के प्रावधानों को विस्तार से समझाया और उन्होंने बताया कि अब नये कानून में कारावास के दण्ड के अतिरिक्त नवीन कानून में कुछ अपराधों के लिए दण्ड स्वरूप सामुदायिक सेवा का भी उपबंध किया गया है, जो न्यायालय द्वारा सजा के रूप में किसी भी अभियुक्त को प्रकरण के अनुसार दिया जा सकता है।

द्वितीय सत्र का प्रारंभ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रवीण मिश्रा द्वारा किया गया जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त नवीन कानून में इंगलैण्ड तथा जूरी एवं असेसर जैसे शब्दों को नवीन कानून से हटा दिया गया है और अब साक्ष्य के रूप इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल अभिलेखों को भी दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जायेगा। राधिका सैनी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारगढ़ द्वारा अपने व्याख्यान में कहा गया कि नवीन कानून में जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करते हुए अब नया कानून पूरे भारत वर्ष में लागू होगा। प्रतिभा वर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्यों की सुसंगति, सबूत के विषय एवं साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव की जानकारी दिया गया।

तृतीय सत्र में देवाशीष ठाकुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में धाराओं में हुये परिवर्तन को विस्तार से बताया। अभिलेश शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा द्वारा नवीन संहिता में जांच, विचारण एवं अन्वेषण में हुए तात्विक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। संतोष कुमार आदित्य प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा बताया गया कि अब नये कानून के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट आनलाइन माध्यम से कोई भी कर सकता है और सूचना देने वालों को 3 दिवस के भीतर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना होगा। जो भी पुलिस द्वारा कार्यवाही किया जायेगा उसकी वीडियोग्राफी किया जायेगा। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी को इत्तिला प्राप्त होने पर उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्टेऊट को तत्काल भेजा जावेगा और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के उस स्थान पर स्वयं जायेगा या किसी अधीनस्थ अधिकारियों को भेजेगा। इसके अतिरिक्त उन्होनें जमानत, अपील के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और उन्होने कहा कि नवीन कानून निरंतर कुछ न कुछ नवीन प्रावधानों को हमें सिखाते रहेगें जो संपूर्ण जिलेवासियों के लिए लाभप्रद होगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480